मुकुल गोयल
आई०पी०एस०
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उ०प्र०

डीजी–परिपत्र संख्या–23/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
शिम्नेचर बिल्डिंग,
शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार,
लखनऊ–226002

दिनांक : लखनऊ: जुलाई 23, 2021

विषय : पुलिस कर्मियों के जनसामान्य के साथ शालीन एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः देखने में आया है कि कतिपय अराजपत्रित पुलिसकर्मियों की जनता से दुर्व्यवहार एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें आये दिन प्राप्त होती रहती हैं। इन सबसे एक ओर जहां पुलिस की समग्र छवि धूमिल होती है, वहीं दूसरी ओर जनता में प्रतिकूल संदेश भी प्रसारित होता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे अपचारी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक/दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाय, जिससे वह अन्य पुलिसकर्मियों के लिए न केवल प्रभावी Deterrent का कार्य करें, अपितु जनता में इसका सही संदेश प्रसारित हो सके।

आप अवगत हैं कि जनसामान्य के बीच पुलिस की स्वच्छ छवि एवं विश्वसनीयता पर हमारी पूरी कार्य–प्रणाली आधारित है। जब तक हमारे थानों की कार्यशैली में सुधार नहीं होगा तब तक हम आदर्श पुलिसिंग को यथार्थ के धरातल पर नहीं उतार सकते। हमें सबसे पहले थानों पर आम आदमी के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। विनम्रता और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता एवं मर्यादित आचरण प्रदर्शित किये बिना किसी भी प्रकार की सार्थक पुलिसिंग सम्भव नही हैं। थाने पर आने वाले हर जरूरतमंद के दुःख दर्द एवं पीड़ा को धैर्य एवं सहानुभूतिपूर्वक सुनना एवं पीड़ा के निवारणार्थ प्रयास करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और यहीं से पुलिस की विश्वनीयता की शुरूआत होती है। पुलिस के मर्यादित आचरण हेतु समय–समय पर मुख्यालय स्तर से सार्थक निर्देश अनुपालनार्थ दिये गये हैं।

आप सहमत होगें कि पुलिस एक अनुशासित बल है तथा इसकी कार्यप्रणाली अन्य विभागों से अलग है। पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना एवं समाज में शांति बनाये रखना है। पुलिस बल की जनता में अलग पहचान है, यदि पुलिस जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार नहीं करेगी तो जनता में पुलिस के प्रति गलत धारणा बनेगी। पुलिस की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता में उसकी स्वीकार्यता हो तथा जनता पुलिस को अपना सहयोगी एवं मददगार समझे। पुलिस के लिए नितान्त आवश्यक है कि वह स्वयं लोगों के मान–सम्मान को ठेस न पहुँचाये तथा उन्हे महत्वपूर्ण एवं सम्मानित होने का एहसास कराये।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मर्यादित एवं शिष्ट व्यवहार किये जाने हेतु निम्नवत बिन्दु अनुपालनार्थ प्रेषित हैं :–

- पुलिस कर्मियों को जनता के साथ किस प्रकार का मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, इसका निचले स्तर तक सम्यक् ज्ञान होना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस कर्मियों को निकटता से प्रशिक्षित किया जाये।

- जनपद में नियुक्त राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का दो चरणों में जनता के साथ मर्यादित आचरण किये जाने विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला करायी जाये। प्रथम चरण में पुलिस उपाधीक्षक/निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रशिक्षित किया जाये। द्वितीय चरण में मुख्य आरक्षी/आरक्षी पद के कर्मचारियों को प्रशिक्षण कराया जाये।
- पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु स्थानीय विषय विशेषज्ञों की भी सेवायें प्राप्त की जायें। उनसे जनता के साथ पुलिस द्वारा सद्व्यवहार सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान का प्रबन्ध करायें।
- जनपद के थानों में जनसामान्य के साथ अपेक्षित मर्यादित एवं शिष्ट व्यवहार किये जाने सम्बन्धी बोर्ड लगाये जाये।
- जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस प्रमुखों द्वारा अपने–अपने स्तर से इस दिशा में प्रभावी अनुसरण की व्यवस्था नियमित रूप से सुनिश्चित की जाय।
- जनसामान्य से पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायतें हों, का विवरण एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न प्रारूप में अपने जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से एवं पुलिस आयुक्त सीधे अपर पुलिस महानिदेशक, (अपराध) को **प्रत्येक माह की 07 तारीख तक** ई–मेल पता section7crime@gmail.com पर नियमित रूप से प्रेषित करेंगें। प्रदेश की समेकित सूचना अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध द्वारा मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

मैं चाहूँगा कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए आप अपने अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत कर इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में जन–सामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार करें, जिससे पुलिस की छवि जन–मानस में अच्छी बनी रहे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(मुकुल गोयल)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौ0बु0नगर/कानपुर/वाराणसी।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रारूप 01 जनता से दुर्व्यवहार सम्बन्धी सूचना

	परिक्षेत्र		जनता से दुर्व्यवहार की कुल घटनाओं की सं0	जनता से दुर्व्यवहार की कुल घटनाओं में संलिप्त कर्मियों की संख्या					जनता से दुर्व्यवहार की कुल घटनाओं में संलिप्त कर्मियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही											
				निरीक्षक	उप निरीक्षक	मुख्य आरक्षी	आरक्षी	योग (कालम 5 से 8)	अभियोग पंजीकरण	पदच्युत	परिनिन्दा प्रविष्टि	सत्यनिष्ठा रोक	अर्थदण्ड	सर्दी हस	चेतावनी	दोषमुक्त	संलिप्त पाये गये कर्मियों के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही				योग (कालम 11 से 21 तक)
																	नियम 14(1)	नियम 14(2)	प्रा0 जांच	कितने कर्मियों के विरूद्ध विवेचना प्रचलित है, की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

प्रारूप 02 भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना

				भ्रष्टाचार की कुल घटनाओं में संलिप्त कर्मियों की संख्या					भ्रष्टाचार की कुल घटनाओं में संलिप्त कर्मियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही												
																	संलिप्त पाये गये कर्मियों के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही				
	परिक्षेत्र		भ्रष्टाचार की कुल घटनाओं की सं0	निरीक्षक	उप निरीक्षक	मुख्य आरक्षी	आरक्षी	योग (कालम 5 से 8)	अभियोग पंजीकरण	पदच्युत	परिनिन्दा प्रविष्टि	सत्यनिष्ठा रोक	अर्थदण्ड	अर्हता ह्रास	चेतावनी	दोषमुक्त	नियम 14(1)	नियम 14(2)	प्रा0 जांच	कितने कर्मियों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है, की संख्या	योग (कालम 11 से 21 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

<u>नोटः</u> प्रतिमाह तुलनात्मक प्रगतिशील जोन स्तर पर संकलित (जोन व रेन्ज योग सहित) त्रुटिरहित सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई-मेल पताः section7crime@gmail.com पर प्रत्येक दशा में अपेक्षित।